

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2020 — ज्येष्ठ 6, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-7/2008/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के उप खंड (2) के अंतर्गत श्री के. आर. पिस्टा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर 62 वर्ष आयु पूर्ण करने के कारण दिनांक 01-06-2020 (अपरान्ह) को अपने पद से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक एफ 6-7/2008/एक (1). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-7/2008/एक (1), दिनांक 27-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 27th May 2020

NOTIFICATION

No. F 6-7/2008/One (1). — Under clause (2) of the Article 316 of the Constitution of India, Shri K. R. Pisda, Chairman, Chhattisgarh, Public Service Commission, Raipur Shall Cease to hold the office on the after noon of 01-06-2020 on completion the age of 62 years.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.